राजस्थान–सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.4( )पी.पी. / तक–2 / दिशा निर्देश / 2016–17 / 3464-3671 दिनांक : 6-5-16

1.समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
2.परियोजना निदेशक कृषि (वि0) सी.ए.डी कोटा
3.उप निदेशक कृषि (विस्तार) इ.गा.न.प. बीकानेर

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन / नेशनल मिशन ऑन आयलसीड एवं ऑयलपॉम (NMOOP) का मिनी मिशन–1 / अन्तर्गत समन्वित नाशीजीव प्रबन्धन को बढ़ावा देने हेतु बायोएजेन्ट / बायोपेस्टीसाईड फेरोमेन ट्रेप आदि (आई.पी.एम.) कृषको को अनुदान पर वितरण हेतु दिशा निर्देश वर्ष 2016–17

इस योजना का उद्देश्य समन्वित नाशीजीव प्रबन्धन प्रणाली (आई.पी.एम) को कृषको में लोकप्रिय बनाकर पौध संरक्षण रसायनो के उपयोग मे कटौती को प्रोत्साहित करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में बायो एजेन्टस / बायो पेस्टीसाईड / फैरोमोन ट्रेप्स आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। राज्य के कृषको को कीट रोग प्रकोप की स्थिति में आवश्यकता होने पर इनको अनुदान पर उपलब्ध करवाना है ।

संलग्नः– दिशा निर्देश

(डॉ. नीरज के. पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट
शासन सचिव, कृषि

क्रमांकः–एफ.4( )पी.पी. / तक–2 / दिशा निर्देश / 2016–17 / 3464-3671 दिनांक : 6-5-16

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय / माननीय पंचायतीराज मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, कृषि, राज0 जयपुर ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राज0 जयपुर ।
6. समस्त जिला कलेक्टर .... ।
7. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार / आदान / अनु. / एनएमओओपी / समन्वयक / उद्यान) मु. ।
8. उप सचिव, किसान आयोग, राजस्थान, जयपुर
9. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) .... ।
10. संयुक्त निदेशक कृषि (योजना / आदान / पौध संरक्षण / गु. नि. / जउप्र / शस्य एटीसी / प्र. एवं मू. / विस्तार / रसायन) / उप निदेशक कृषि (अभियांत्रिकी, सूचना, विस्तार, चारा विकास / सांख्यिकी) को नॉडल ऑफिसर के रूप में पर्यवेक्षण हेतु।
11. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद .... ।
12. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) .... ।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
14. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
15. आरक्षी पंजिका।

6.5.16

(एच.एस.मीना)
संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.सं.)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/ नेशनल मिशन ऑन आयलसीड एवं ऑयलपॉम (NMOOP) का मिनी मिशन–1 अन्तर्गत समन्वित नाशीजीव प्रबन्धन को बढ़ावा देने हेतु बायोएजेन्ट/बायोपेस्टीसाईड फेरोमेन ट्रेप्स कृषको को अनुदान पर वितरण।

दिशा निर्देश

इस योजना का उद्देश्य समन्वित नाशीजीव प्रबन्धन प्रणाली (आई.पी.एम.) को कृषकों में लोकप्रिय बनाकर पौध संरक्षण रसायनों के उपयोग में कटौती को प्रोत्साहित करना है । इस उद्देश्य की प्राप्ति में बायो एजेन्टस/बायो पेस्टीसाइड आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है । कृषकों को कीट रोग प्रकोप की स्थिति में आवश्यकता होने पर बायोऐजेन्ट्स/बायो पेस्टीसाइड्स, फेरोमैन ट्रेप्स आदि सम्बन्धित योजना के दिशा–निर्देशानुसार अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाये जा सकते हैं।

(अ) कृषकों का चयन :–

(1) जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद उक्त आदानों के अनुदानित दर पर वितरण हेतु नोडल अधिकारी होगें ।

(2) अनुदान वितरण में अनुसूचित जाति के 17.16 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के 12.56 प्रतिशत अथवा जिले की जनसंख्या के आधार पर तथा महिला कृषकों श्रेणीवार 30 प्रतिशत प्राथमिकता से लाभान्वित करते हुए वितरण सुनिश्चत किया जावे ।

(3) अनुदान वितरण में अनूसूचित जाति/जन जाति/महिला/बी.पी.एल. सीमान्त/लधु एवं अन्त्योदय परिवार के कृषकों को प्राथमिकता से लाभान्वित किया जावे, साथ ही ऐसे कृषकों को प्राथमिकता दी जावे जिन्हे आज तक विभाग की इस योजना में लाभान्वित नहीं किया हो। यथा संभव जिले में चयनित आदर्श गाव के कृषकों को प्राथमिकता से लाभान्वित किया जावें।

(4) यदि कोई कृषक पहचान एवं पते के सत्यापन एवं प्रमाणिकरण हेतु भामाशाह कार्ड प्रस्तुत करता है तो उसे पूर्ण मान्यता दी जावे।

(ब) अनुदान व आदान व्यवस्था :–

1. बायो एजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड/फेरोमोन ट्रेप्स आदि की दरों का अनुमोदन विभाग द्वारा किया जा रहा है। अतः विभिन्न योजनाओं में बायो एजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड/फेरोमोन ट्रेप्स आदि के अनुदान की गणना न्युनतम अनुमोदित दर पर की जायेगी। अनुदान हेतु आदानवार न्यूनतम अनुमोदित दरें एवं पंजीकृत निर्माताओं की सूची तथा विस्तृत दिशा निर्देश शीघ्र ही भिजवा दिये जावेंगे।

2. बायो एजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड/फेरोमोन ट्रेप्स आदि पर अनुदान का लाभ विभागीय पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज/आई.पी.एम. मोड्यूल में सम्मिलित उत्पादों पर ही देय होगा।

3. बायो एजेन्ट/बायो पेस्टीसाईड/फेरोमोन ट्रेप्स आदि पर अनुदान का लाभ आयुक्तालय स्तर पर पंजीकृत निर्माताओं के आदानों पर क्रय–विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस/पंजीकृत निर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं से कृषकों द्वारा क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।

4. कृषक अनुदान आवेदन पत्र, निर्धारित प्रपत्र में कृषि पर्यवेक्षक अथवा सहायक कृषि अधिकारी अथवा सहायक/उप निदेशक कृषि कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगें ।

5. बायो ऐजेन्टस बायो पेस्टीसाइड/फैरोमेन ट्रेप्स आदि की कृषक पूर्ण राशि क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/पंजीकृत निर्माता/ चिन्हित अधिकृत विक्रेता को जमा कराकर क्रय करेगें उनको अनुदान की राशि का भुगतान भौतिक सत्यापन के पश्चात संबंधित उप/सहायक निदेशक कृषि कार्यालय द्वारा आहरण कर संबंधित कृषक को ऑन–लाईन ईसीएस/ई–पेमेंट के द्वारा किया जावेगा तथा इस बात की सुनिश्चित्ता की जाये कि राशि सम्बन्धित कृषक के बैंक खाते में जमा हो।

6. योजनान्तर्गत बायोऐजेन्टस/बायो पेस्टीसाइड/फेरोमोन ट्रेप्स/ल्योर्स आदि पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500/ रू. प्रति हैक्टर जो भी कम हो अनुदान देय होगा।

7. क्रय किये गये बायो पेस्टीसाइड का बैचवार नमूना लिया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा परीक्षण हेतु नमूने परिशिष्ट 1 पर अंकित प्रयोगशालाओं में से किसी भी प्रयोगशाला में भिजवाया जावें तथा नमूना मानक पाये जाने पर ही भुगतान किया जावे।

8. जिलें में वितरित किये गये बायो एजेन्टस/बायो पेस्टीसाइड/फैरोमेन ट्रेप्स आदि का भौतिक सत्यापन संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड 1 प्रतिशत, उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद या उनके प्रतिनिधि 2 प्रतिशत, सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) 3 प्रतिशत एवं कृषि अधिकारी 10 प्रतिशत करेगें।

9. उप निदेशक, कृषि (विस्तार) अनुदान पर वितरित किये जाने वाले फेरोमोन ट्रेप्स/ आदि का क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/पंजीकृत निर्माता/चिन्हित अधिकृत विक्रेय केन्द्रों पर फेरोमोन ट्रेप्स के आयुक्तालय द्वारा तय मापदण्डों (परिशिष्ठ–2) से मिलान करेगें।

———

Annexure-1

(A) List of notified Central Insecticides Laboratory in the country

For quality control of bio-pesticides, Government of India has notified the following seven laboratories in different States to function as Central Insecticides Laboratory in respect of bio-pesticides wide Gazette notification G.S.R. 756 (E) dated 15th December, 2006.

1. Indian Agricultural Research Institute (Division of Entomology), Pusa, New Delhi.
2. G.B. Pant University of Agriculture and Technology (Centre of Advanced Studies in Plant Pathology) Pant Nagar, Utrranchal.
3. Regional Research Laboratory (Department Biotechnology) Jammu.
4. Assam Agricultural University (Department of Entomology), Jorhat, Assam.
5. Mahatama Phule Krishi Vidyapeeth (College of Agriculture), Pune Maharastra.
6. University of Agriculture Sciences (Department of Agricultural Entomology), Dharwad, Karnataka.
7. Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, Tamil Nadu.

(B) IDENTIFIED BIO- PESTICIDE TESTING LABORATORIES.

1) *Vector Control Research Center, Poondichery*
2) SPIC Science Foundation, Chennai.
3) FIPPAT, Chennai.
4) Annamalai University, Annamalai, Tamilnadu
5) Anna University, Chennai, Tamilnadu
6) Project Directorate Biological Control Bangalore
7) Rallis India Limited, Bangalore
8) Directorate of Oil Seeds Research, Rajendra Nagar, Hyderabad.
9) Indian Instt. Of Chemical Technology, Hyderabad
10) Jai Research Foundation, Vapi (Gujrat)
(11) Chandra Shekhar Azad University of Agriculture And Technology, Kanpur.
12) Indian Institute of Toxicology, Pune *MAHARASTRA*
13) Division of Entomology, Punjab Agricultural University, Ludhiana. *PUNJAB*
14) I D M A Laboratory, Chandigarh
15) D I P LAB (P) Ltd, Calcutta. *WEST BENGAL*
16) Directorate of Agriculture (Deptt. of Agriculture) Sheshadri Road, Bangaluru 560001

Specifications for pheromone traps prescribed by Department of Agriculture, Raj. Jaipur

(A) **Specifications for pheromone trap (Heliothis/other Moth):**

(i) Body of pheromone trap should be made of high quality non recycled plastic material.

(ii) Collection bag made of polythene/nylone net which withstands wind, high temperature and water.

(iii) Canopy should be fixed with 3 stalks by trap base. Diameter of the canopy is 140 mm and thickness is 1.5 mm. Diameter of trap base mouth is 100 mm.

(iv) Hight of funnel is 65 mm with minimum botton diameter is 30 mm.

(B) **Specifications for pheromone trap (white grub control) :**

(i) Body of pheromone trap should be made of high quality non recycled plastic material. All part of pheromone trap should be well finished.

(ii) Beetle Collection bag should be made of high quality non recycled plastic material.

(iii) Upper diameter of funnel 125-150 mm and bottom diameter 30- 50 mm or even higher be accepted and height 100 mm.

(iv) Vertical plate length is 130 mm.

(v) Lure case made of LD Plastic - fitted in vertical plate.